[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 35/2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 19/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जिसे सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द "उदग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क" के पश्चात शब्द, अंक और कोष्ठक, "तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत उदग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर" को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/131/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार